

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 07/2025 ( धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)  
राज्य सरकार जरिये विमला भीष्मा, प्रवर्तन निरीक्षक बरसी, जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर  
द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सरोज स्वीट्स, अचरोल, जरिये श्री केदार शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा, निवासी भानपुर, जयपुर।

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के  
तहत जब्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी  
26.000 किलोग्राम को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अनिल शर्मा अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.01.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त निर्देशों की पालना में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 21.10.2022 को मैसर्स सरोज स्वीट्स, अचरोल, आमेर, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 26.000 किलोग्राम के पाये गये, जिस पर ग्राहकों के लिये खाना एवं मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 04.11.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की और से श्री अनिल शर्मा अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स सरोज स्वीट्स, अचरोल, आमेर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. कम्पनी पाये गये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से ग्राहकों के लिये खाना एवं मिठाई इत्यादि बनाकर वाणिज्यिक तौर पर लाभ हेतु विक्रय किया जा

जिला कलेक्टर  
जयपुर



रहा था। मौके पर मैसर्स बालाजी गैस एजेन्सी, अचरोल के प्रतिनिधि श्री शिवशंकर को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरों में कुल 26.000 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के हैं। सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।
6. उभय पक्ष की बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 21.10.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
7. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के कब्जे से जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी 26.000 किलोग्राम से खाना एवं मिठाई इत्यादि बनाकर वाणिज्यिक उपयोग करते पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैद्य व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी 26.000 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
9. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 04.11.2022 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति हसब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर